रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 261] नई दिल्ली, बुधवार, मई 29, 2013/ज्येष्ठ 8, 1935
No. 261] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 29, 2013/JYAISTHA 8, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक
(विदेशी मुद्रा विभाग)
(केंद्रीय कार्यालय)

मुंबई, 19 मार्च, 2013

विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2013

सा.का.नि. 345(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (3) के खंड (ए) और धारा 47 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक एतद्द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) विनियमावली, 2004 (7 जुलाई, 2004 की अधिसूचना सं. फेमा. 120/आरबी-2004) (अब इसके आगे मूल विनियमावली अथवा अधिसूचना के रूप में उल्लिखित) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—

(ए) ये विनियम विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2013 कहलायेंगे।

(बी) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. भाग I में नया विनियम जोड़ना :—

भाग I में, विनियम 6**सी के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा** :

"**6**डी. स्विफ्ट की ईक्विटी अर्जित करने के लिए सामान्य अनुमति

भारत में कोई बैंकिंग कंपनी, जिसे बैंककारी विनियमन अधिनियम, **1949** के उपबंधों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लाइसेंस दिया गया हो, विश्व व्यापी अंतर-बैंक वित्तीय दूर संचार सोसाइटी **(SWIFT)**, बेल्जियम के शेयरों का अर्जन स्विफ्ट की उप-विधियों के अनुसार कर सकती है बशर्ते ऐसी बैंकिंग कंपनी को रिज़र्व बैंक द्वारा भारत में स्विफ्ट के उपयोगकर्ताओं के समूह के सदस्य के रूप में शामिल होने के लिए अनुमति प्रदान की गई हो।"

[अधिसूचना सं. फेमा. **271**/आरबी-**2013**]

रश्मि फौज़दार, मुख्य महा प्रबंधक

पाद टिप्पणी : मूल विनियमावली भारत सरकार के सरकारी राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में 19 नवंबर, 2004 के सं. सा.का.नि. 757(अ), के जरिये प्रकाशित की गयी थी और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित की गयी:

7 अप्रैल, 2005 के सं. सा.का.नि. 220(अ),

27 मई, 2005 के सं. सा.का.नि. 337(अ),

31 अगस्त, 2005 के सं. सा.का.नि. 552(अ),

6 सितंबर, 2006 के सं. सा.का.नि. 535(अ),

5 जनवरी, 2008 के सं. सा.का.नि. 13(अ),

25 मार्च, 2008 के सं. सा.का.नि. 209(अ),

24 सितंबर, 2008 के सं.सा.का.नि. 676(अ),

31 अक्तूबर, 2008 के सं. सा.का.नि. 756(अ),

20 फरवरी, 2009 के सं. जी.एस.आर. 108(अ),

1 मई, 2009 के सं. सा.का.नि. 301(अ),

23 जून, 2009 के सं.सा. का.नि. 441(अ),

28 अगस्त, 2009 के सं. सा.का.नि. 609(अ),

3 अगस्त, 2012 के सं. सा.का.नि. 607(अ),

3 जून, 2012 के सं.जी. एस.आर. सं.609(अ),

31 दिसंबर, 2012 के सं. सा.का.नि. 947(अ),

_____________ के सं. सा.का.नि. _______

_____________ के सं. सा.का.नि._______

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(Central Office)

Mumbai, the 19th March, 2013

Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2013

G.S.R. 345(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (3) of Section 6 and sub-section (2) of Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank hereby makes the following amendments in the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) Regulations, 2004 (Notification No. FEMA.120/RB-2004, dated July 7, 2004), as amended from time to time, (hereinafter called the Principal Regulations or the Notification) namely:—

1. Short Title & Commencement :—

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Any Foreign Security) (Third Amendment) Regulations, 2013.

(ii) They shall come into force from the date of publication in Official Gazette.

2. Insertion of new Regulation in Part I :—

In Part I, after Regulation 6C, the following Regulation shall be inserted:

"6D General Permission for Acquiring Equity of SWIFT

A banking company in India, being licensed by the Reserve Bank of India under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, may acquire the shares of Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), Belgium as per the by-laws of SWIFT, provided that such banking company has been permitted by the Reserve Bank for admission to the 'SWIFT User's Group in India' as member."

[Notification No. FEMA. 271/RB-2013]

RASHMI FAUZDAR, Chief General Manager

Foot Note : The Principal Regulations were published in the Official Gazette of India *vide* No. G.S.R. 757 (E), dated November 19, 2004 – in Part II, Section 3, Sub-section (i) and subsequently amended *vide* :—

G.S.R. No. 220 (E), dated April 7, 2005,

G.S.R. No. 337 (E), dated May 27, 2005,

G.S.R. No. 552 (E), dated August 31, 2005,

G.S.R. No. 535 (E), dated September 6, 2006,

G.S.R. No.13 (E), dated January 5, 2008,

G.S.R. No. 209(E), dated March 25, 2008,

G.S.R. No. 676 (E), dated September 24, 2008,

G.S.R. No. 756 (E), dated September 31, 2008,

G.S.R. No.108 (E), dated February 20, 2009,

G.S.R. No. 301(E), dated May 1, 2009,

G.S.R. No. 441(E), dated June 23, 2009,

G.S.R. No. 609(E), dated August 28, 2009,

G.S.R. No. 607(E), dated August 3, 2012,

G.S.R. No. 609(E), dated August 3, 2012,

G.S.R. No. 947(E), dated December 31, 2012,

G.S.R. No.______ dated ________________ and

G.S.R. No.______ dated ________________.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.